

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बक्सर

(1)

Session Trial No-176/ 2025 ,

State vs. Vijay Pandey

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बक्सर।

उपस्थित – मनीष कुमार शुक्ला,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बक्सर।

निर्णय का दिनांक : 01.04.2026

S. Tr. Case No.-176/2025

CIS –176/2025

सिकरौल थाना काण्ड संख्या-45/2024 दिनांक 03.04.2024

अंतर्गत धारा-302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट

परिवादी / सूचिका	प्रीति कुमारी, प.अ.नि., थाना-सिकरौल, जिला-बक्सर।
अभियोजन की तरफ से	श्री विनोद कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	विजय पाण्डेय, पिता- रामेश्वर पाण्डेय, साकिन-पाण्डेयपुर, थाना-सिकरौल, जिला-बक्सर।
बचाव पक्ष की तरफ से	1. श्री अजीत कुमार मिश्रा (विद्वान अधिवक्ता)

घटना की तारीख	03.04.2024
प्राथमिकी की तिथि	03.04.2024
आरोप पत्र समर्पित किये जाने की तिथि	12.11.2024
आरोप गठित किये जाने की तिथि	29.07.2025
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	23.08.2025
निर्णय में नियत किये जाने की तिथि	19.03.2026
निर्णय की तिथि	01.04.2026

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बक्सर

(2)

Session Trial No-176/ 2025 ,

State vs. Vijay Pandey

दण्ड आदेश पारित किये जाने की तिथि	कोई नहीं।
-----------------------------------	-----------

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त संख्या	01
अभियुक्त का नाम	विजय पाण्डेय,
गिरफ्तारी की तिथि / आत्मसमर्पण की तिथि	08.10.2024
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	15.04.2025
आरोपित धारा	302 / 34 भा.द.वि
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष-सिद्ध किया गया है	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्ड	कोई नहीं।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	लागू नहीं।

निर्णय

1. अभियुक्त विजय पाण्डेय को धारा- 302 / 34 भा.द.वि के अन्तर्गत अपराध के विचारण के लिए भेजा गया था।
2. अभियोजन का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि इस वाद के सूचक प्रीति कुमार, प.अ.नि. का अपने स्वलिखित बयान में कथन है कि दिनांक 03.04.2024 को सिकरौल थाना सनहा संख्या-97 / 24 के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वह सशस्त्र बल के साथ समय 6:05 बजे सिकरौल थाना अंतर्गत ग्राम-पाण्डेयपुर पहुची तो देखा कि एक महिला उम्र करीब 40 वर्ष की हत्या गोली मारकर कर दी गई है।

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बक्सर

(3)

Session Trial No-176/ 2025 ,

State vs. Vijay Pandey

मृतिका महिला का नाम ममता देवी पता चला। मृतिका की हत्या के संबंध में उसकी बेटी भूमि कुमारी और महिमा कुमारी से पूछताछ करने पर बताया गया कि उनकी माँ ममता देवी सुबह करीब 5:00 बजे घर से बाहर शौच करने निकली थी तभी अभियुक्त विजय पाण्डेय और अजय पाण्डेय कुछ दूरी पर घेर लिया तथा विजय पाण्डेय उनकी माँ को पकड़ लिए एवं अजय पाण्डेय उनकी माँ को गोली मार दिए। गोली लगने से उनकी माँ वहीं पर गिर गई उसके बाद अजय पाण्डेय एवं विजय पाण्डेय भाग गए। गोली लगने से ममता देवी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात मृतिका के शव का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अत्यंत परीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर सदर अस्पताल बक्सर में मृतिका के शव का पोस्टमार्टम करा कर शव को मृतिका के रिस्तेदार का सुपुर्द किया गया। सूचक प्रीति कुमारी के स्वलिखित बयान के आधार पर यह प्राथमिकी सिकरौल थाना काण्ड संख्या-45/2024 दर्ज हुआ तथा अनुसंधान प्रारंभ हुआ।

3. अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त विजय पाण्डेय के विरुद्ध धारा- 302/34 भा.द.वि. एवं धारा-27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत पूरक आरोप पत्र संख्या-94/2024 न्यायालय में समर्पित किया गया। पूर्व में अभियुक्त अजय पाण्डेय के विरुद्ध मूल आरोप पत्र समर्पित किया गया था और उसका विचारण पृथक चल रहा था। इस अभियुक्त विजय पाण्डेय का अभिलेख पृथक किया गया था। तत्पश्चात् विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बक्सर के द्वारा उक्त मामले का संज्ञान धारा - 302/34 भा.द.वि. एवं धारा-27 आर्म्स एक्ट के तहत दिनांक 08.04.2025 को लिया गया तथा वाद को सत्र न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया। दिनांक 29.07.2025 को अभियुक्त के विरुद्ध धारा-302/34 भा.द.वि. 1860 के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप का गठन किया गया।

4. घटना के समर्थन में अभियोजन की ओर से कुल 03 साक्षियों का परीक्षण इस वाद में किया गया है, जो निम्न है -

अभियोजन साक्षी संख्या-1 भूमि कुमारी,

अभियोजन साक्षी संख्या-2 महिमा कुमारी,

अभियोजन साक्षी संख्या- 3 डॉ० अमलेश कुमार,

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बक्सर

(4)

Session Trial No-176/ 2025 ,

State vs. Vijay Pandey

5. अभियुक्त ने द0प्र0सं0 की धारा 313 के अपने बयान में स्वयं को निर्दोष कहा है। बचाव पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया है।

6. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गए उक्त आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे रह कर साबित करने में सफल रहा है?

मंतव्य

7. अभियोजन साक्षी संख्या-1 भूमि कुमारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना की तारीख मुझे जानकारी नहीं है। इस केस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभियोजन के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। साक्षी ने अभियुक्त विजय पाण्डेय को पहचाना।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त उसका चाचा है, इसलिए पहचानती है।

8. अभियोजन साक्षी संख्या-2 ममता कुमारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 03.04.2024 की है। उस दिन मेरी माँ को गोली मार दिया गया। लगभग 5:00 बज रहा था। उस समय मैं अपने घर पर सोई हुई थी। मेरी माँ शौच करने गई थी। मैं किसी को गोली मारते हुए नहीं देखी। कौन गोली मारा है, मुझे जानकारी नहीं है। न्यायालय में अभियुक्त विजय पाण्डेय को देखकर साक्षी ने पहचान किया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि मुझे आज तक पता नहीं है कि मेरी माँ को किसने मारा। अभियुक्त उसका चाचा है, इसलिए पहचानती है।

9. अभियोजन साक्षी संख्या-3 डॉ० अमलेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि On 03-04-2024, I was posted at Sadar Hospital Buxar as Medical Officer. On same day at 11:00 am Post Mortem was done at on the dead body of Mamta devi age about 40 years, W/o- Akshay Panday R/o- Village-

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बक्सर

(5)

Session Trial No-176/ 2025 ,

State vs. Vijay Pandey

Pandeypur, P.S. Sikraul, District- Buxar. Post mortem was done by Dr. Amlesh Kumar. I am the member of Postmortem Team.

Post mortem was done before me I Identify post mortem report which bears my Signature. The photocopy of post-mortem report was available on record. The same was matched with original post-mortem report and found to be true copy of the same. The photocopy of Post Mortem report was Marked Exhibit- P.1/P.W.-3 and his signature was on Point- "A". The report was prepared in his presence. He was aware about the content of the reports.

प्रतिपरीक्षण के क्रम में साक्षी ने कहा है कि मैं M.S नहीं हूँ केवल MBBS हूँ। मैंने इस केस में पोस्टमार्टम किया है। बॉडी में Rigor mortis नहीं था। Rigor mortis 5-6 घंटे के बाद शुरू हो जाता है। पुरे शरीर में Rigor mortis 24 hours तक रहता है। 4th grade के employee ने डेड बॉडी को कट किया था। 4th grade के employee के पास कट करने का सामान नहीं है, पोस्टमार्टम हाउस में है। ड्यूटी में व्यस्तता होने के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समय अंकित नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कम्प्यूटराईज बना था। यह कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा बनाया गया था। रिपोर्ट का रफ बना था या नहीं मुझे पता नहीं है। योगेन्द्र बाबू मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखवा थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखवाते समय एक बार चेंज हुआ है। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट सदर अस्पताल में तैयार हुआ है। सदर अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस 6-7 किलोमीटर दूर है।

4th grade employee जिसने बॉडी कट किया था मुझे उनका नाम याद नहीं है लेकिन दो स्टॉफ थे। कितनी दूरी से फायर किया गया था मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं फॉरेसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैंने पोस्टमार्टम नहीं किया है केवल सदर अस्पताल में ही मैं था तथा इसी कारण मैं बॉडी कट करने वाले तथा टाईप

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बक्सर

(6)

Session Trial No-176/ 2025 ,

State vs. Vijay Pandey

करने वाले का नाम नहीं बता रहा हूं तथा क्या टाईप में सुधार कराया गया नहीं बता सकता हूं।

परिणाम

10. इस वाद में अभियुक्त विजय पाण्डेय के विरुद्ध धारा- 302/34 भा.द.वि के अन्तर्गत अपराध के लिए आरोप का गठन किया गया था ।

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि उन्होंने अपराध का दिनांक, समय व स्थान सिद्ध कर दिया है। अभियुक्त की मोडसअपरेण्डो को भी उन्होंने सिद्ध किया है। अभियुक्त की पहचान को भी अभियोजन ने सिद्ध किया है। अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध अपने मुकदमें को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन के केस में बहुत सारी कमियां हैं। अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्त को रिहा किया जाये।

धारा-302 भा0द0सं0-

12. पी0डब्ल्यू-1 / भूमि कुमारी ने अभियोजन के केस का समर्थन नहीं किया। अभियोजन ने उसका प्रति-परीक्षण किया परन्तु उसने अभियुक्त के विरुद्ध कोई इनकिमिनेटिंग एविडेंस नहीं दिया। उसने अभियुक्त विजय पाण्डेय का पहचाना किंतु अपने प्रतिपरीक्षण के पारा-9 में उसने कहा कि अभियुक्त उसका चाचा है, इसलिए उसे पहचानती है।

13. पी0डब्ल्यू-2 / महिमा कुमारी ने पूर्ण रूप से अभियोजन के केस का समर्थन नहीं किया। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि दिनांक 03.04.2024 को 5:00 बजे उसकी माँ को गोली मार दिया गया परन्तु उसने घटना का समय सुबह या शाम को स्पष्ट नहीं किया। अपने मुख्य परीक्षण के पारा-2 में उसने कहा कि उसने गोली मारते हुए किसी को नहीं देखा, गोली कौन मारा है, उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन ने उसका प्रति-परीक्षण किया परन्तु उसने अभियुक्त के विरुद्ध कोई इनकिमिनेटिंग एविडेंस नहीं दिया। उसने अभियुक्त विजय पाण्डेय का पहचाना

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बक्सर

(7)

Session Trial No-176/ 2025 ,

State vs. Vijay Pandey

किंतु अपने प्रतिपरीक्षण के पारा-8 में उसने कहा कि अभियुक्त उसका चाचा है, इसलिए उसे पहचानती है।

14. पी0डब्ल्यू-3 /डॉ0 अमलेश कुमार ने मृतिका ममता देवी का पोस्टमार्टम किया। डॉ0 मृत्यु के कारण का साक्षी है, परंतु वह तथ्य का साक्षी नहीं है।

15. न्यायालय समझता है कि किसी भी अपराध को सिद्ध करने के लिए अपराध की तिथि, समय तथा स्थान आवश्यक तत्व है। हालांकि पी0/डब्ल्यू-2 महिमा कुमारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि दिनांक 03.04.2024 को 5:00 बजे उसकी माँ को गोली मार दिया गया परंतु उसने घटना का समय सुबह या शाम को स्पष्ट नहीं किया। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी ने घटना का स्थान भी स्पष्ट नहीं किया। घटना के स्थान को अभियोजन के किसी भी साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया।

अभियोजन के किसी भी साक्षी ने अभियुक्त की मोडसआपरेंडी नहीं बताया जिसके द्वारा उसने तथाकथित रूप से मृतक ममता कुमारी की हत्या की। अभियोजन ने मृतक की हत्या से अभियुक्त का संबंध/ लिंक स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया। अभियुक्त के विरुद्ध डायरेक्ट या सरकमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है। The Hon'ble Supreme Court of India in Sujit Biswas v. State of Assam 2013 (12) SCC 406, has observed that Suspicion, however grave it may be, cannot take the place of proof, and there is a large difference between something that 'may be' proved, and something that 'will be proved'. In a criminal trial, suspicion no matter how strong, cannot and must not be permitted to take place of proof. This is for the reason that the mental distance between 'may be' and 'must be' is quite large, and divides vague conjectures from sure conclusions. In a criminal case, the court has a duty to ensure that mere conjectures or suspicion do not take the place of legal proof.

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बक्सर

(8)

Session Trial No-176/ 2025 ,

State vs. Vijay Pandey

16. इस वाद में सूचक प्रीति कुमारी को अभियोजन द्वारा इग्जामिन नहीं किया गया। कांड के अनुसंधानकर्ता विरेन्द्र प्रसाद यादव को भी अभियोजन ने इग्जामिन नहीं किया। In Sipahi Tiwary v. State of Bihar (Patna High Court Judgement dated 17 April 2025), the Hon'ble High Court observed that non examination of Investigation Officer creates a material lacuna in prosecution case, since he could have adduced expected evidence.

In Shiv Kumar Singh v. State of Bihar (Patna High Court Judgement dated 22 November 2025), the Hon'ble High Court observed that non examination of Investigation Officer proves fatal for the prosecution for the reason that the improvements & variations were not contradicted as surfaced during the testimony of prosecution witnesses.

अतः अनुसंधानकर्ता को अभियोजन द्वारा इग्जामिन न करना अभियोजन के विरुद्ध जाता है।

17. इस वाद में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध को सिद्ध करने के लिये डायरेक्ट या सरकमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है। इसलिए अभियोजन धारा- 302 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध को सिद्ध करने में असफल रहा है।

18. इस वाद में अभियोजन ने कम्प्यूनिटि ऑफ परपस और कॉमन डिजाईन अभियुक्त विजय पाण्डेय और अन्य अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध नहीं किया है। उनके बीच प्रायर मिटिंग ऑफ माइंड के संबंध में या कॉमन इंटेंशन के ऑन द स्पर ऑफ द मोमेन्ट में डेवलप होने के विषय में कोई साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्त विजय पाण्डेय और अन्य अभियुक्त के मध्य धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कॉमन इंटेंशन होने के विषय में साक्ष्य नहीं है।

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बक्सर

(9)

Session Trial No-176/ 2025 ,

State vs. Vijay Pandey

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त विजय पाण्डेय को धारा-302/34 भा.द.वि. के अन्तर्गत अपराध के आरोप से इस मुकदमें से रिहा किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित

दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0/-

(मनीष कुमार शुक्ला)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, बक्सर।

01.04.2026

ह0/-

(मनीष कुमार शुक्ला)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, बक्सर।

01.04.2026

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बक्सर

(10)

Session Trial No-176/ 2025 ,

State vs. Vijay Pandey

अभियोजन/बचाव पक्ष/ न्यायालय साक्षियों की सूची

(A) अभियोजन के तरफ से -

अभियोजन साक्षी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सय साक्षी व अन्य
साक्षी संख्या-1	भूमि कुमारी	पक्षद्रोही साक्षी
साक्षी संख्या-2	महिमा कुमारी	पक्षद्रोही साक्षी
साक्षी संख्या-3	डॉ० अमलेश कुमार	चिकित्सक

(B) बचावपक्ष के तरफ से साक्षी - कोई नहीं।

(C) न्यायालय साक्षी- कोई नहीं।

अभियोजन/बचावपक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची-

(A) अभियोजन की तरफ से

क्रमां क	प्रदर्श	विवरण
1.	प्रदर्श-पी.1 / पी.डब्लू 3	मृतक ममता देवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट
2.	प्रदर्श-पी.1/पी.डब्लू 3 पर बिंदू 'ए'	पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पी.डब्लू 3 का हस्ताक्षर

(B) बचावपक्ष की तरफ से - कोई नहीं।

(C) न्यायालय प्रदर्श- कोई नहीं।

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बक्सर

(11)

Session Trial No-176/ 2025 ,

State vs. Vijay Pandey

(D) वस्तु प्रदर्श- कोई नहीं।

निर्णय की तिथि	01.04.2026
निर्णय में नियत किए जाने की तिथि	19.03.2026
अपलोडिंग की तिथि	01.04.2026
अपलोडेड द्वारा	तनुज कुमार